लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1234

24 जुलाई, 2017 को उत्तर के लिए

इस्पात संयंत्रों में दुर्घटनाएं

1234. श्री शिशिर कुमार अधिकारीः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश के इस्पात संयंत्रों में दुर्घटनाओं एवं हताहतों की कोई रिपोर्ट है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और हताहत व्यक्तियों के परिवार को कंपनियों द्वारा प्रदान किए गए मुआवजों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **श्री विष्णु देव साय**

(क) और (ख): गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न इस्पात संयंत्रों में जो दुर्घटनाएं हुई हैं, उनका ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण **अनुलग्नक** के रूप में संलग्न है। इन संयंत्रों में दुर्घटनाएं ऊंचाई से गिरने, जहरीली गैस फैलने, बिजली का करंट लगने, जलने, आग/विस्फोट आदि जैसे कारणों से हुई है।

इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। देश में बड़ी संख्या में इस्पात कारखाने/संयंत्र मौजूद हैं। इसलिए, इस्पात मंत्रालय द्वारा निजी इस्पात क्षेत्र के संबंध में अपेक्षित आंकड़े/सूचनाएं नहीं रखी जाती हैं।

(ग): नियमित कर्मचारियों की घातक दुर्घटनाओं के मामले में प्रतिपूर्ति कानून/कंपनी नीति के अनुसार प्रदान की जाती है। सेल और आरआईएनएल अपने कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति का भुगतान दि इम्पलोई कम्पनसेशन एक्ट, इम्पलोई फैमिली बेनिफिट स्कीम और कंपनी नीति के अनुसार रोजगार से और रोजगार के दौरान हुई दुर्घटना के कारण मृत्यु/विकलांगता की दशा में करते हैं। संविदागत श्रमिक के मामले में प्रतिपूर्ति/आश्रित लाभ का भुगतान कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईएस) के अंतर्गत किया जाता है। सेल और आरआईएनएल ने वर्ष 2014 से 2017 के दौरान घायल व्यक्तियों और मृत कर्मचारियों के परिवारों को प्रतिपूर्ति के रूप में लगभग 6,47,39,146 रूपये का भुगतान किया है।

(घ): सेल और आरआईएनएल दोनों ने इन दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कई उपाय किये है। इन उपायों में, अन्य के साथ-साथ अनुरक्षण अनुसूची का पालन करना, सुरक्षा प्रबंध के प्रति प्रणालीगत दृष्टिकोण पर जोर देना, सुरक्षा पद्धतियों का कड़ाई से पालन, नियमित निरीक्षण, सुरक्षा जागरूकता पर अनिवार्य प्रशिक्षण और विशेष प्रशिक्षण, सुरक्षा ऑडिट करना, व्यक्तिगत सुरक्षा के उपस्करों का उपयोग करना और कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के मुताबिक तैयार आकस्मिक योजना का उपयुक्त क्रियान्वयन करना इत्यादि शामिल है।

*****

(लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1234 दिनांक 24 जुलाई 2017)

अनुलग्नक

विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड(सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न इस्पात संयंत्रों और यूनिटों में हुई दुर्घटनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण (संयंत्रवार)

संयंत्र/यूनिट	**घातक दुर्घटनाएं (फैटलिटी)**				**अन्य सूचना योग्य दुर्घटनाएं (घातक दुर्घटनाओं को छोड़कर)**			
अवधि	**2014**	**2015**	**2016**	**2017 (17.07.2017 तक)**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017 (जून .2017 तक)**
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)								
भिलाई इस्पात संयंत्र(छत्तीसगढ़)	8	3	3	1	11	13	3	8
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (पश्चिम बंगाल)	4	5	1	0	2	2	0	0
राउरकेला इस्पात संयंत्र (ओडिशा)	2	6	2	1	1	2	3	3
बोकारो इस्पात संयंत्र (झारखंड)	2	1	2	0	8	7	3	1
इस्को इस्पात संयंत्र (पश्चिम बंगाल)	8	0	1	6	29	8	1	1
एलॉय इस्पात संयंत्र (पश्चिम बंगाल)	0	1	0	0	3	0	0	0
सेलम इस्पात संयंत्र (तमिलनाडु)	0	0	0	0	5	1	1	0
विश्वैश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट (कर्नाटक)	0	0	0	0	1	3	3	0
चंद्रपुर फेरो एलॉय प्लांट (महाराष्ट्र)	0	0	0	0	2	2	2	0
स्टॉक यार्ड	2	1	0	0	0	1	1	2
रॉ मटेरियल डिवीजन (माइंस) (ओडिशा)	1	2	0	0	3	2	1	1
भिलाई माईन्स(छत्तीसगढ़)	0	1	1	0	10	7	10	3
कोलरीज (झारखंड)	0	0	1	0	1	1	2	1
सेल रिफ्रेक्ट्री यूनिट (छत्तीसगढ़)	0	0	0	0	10	4	1	0
योग (सेल)	**27**	**20**	**11**	**8**	**86**	**53**	**31**	**20**
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	**05**	**04**	**06**	**0**	**14**	**13**	**10**	**2**
कुल योग	**32**	**24**	**17**	**8**	**100**	**66**	**41**	**22**

****